कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत बिलखेत–गैराड़–भैरूचौबटठा तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/10596/2015

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़, से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	As per the Decision support system analysis, The area propsed for CA comes to 4.90ha instead of 5.94ha. Moreover, 2ha area o ut of 4.90ha falls in Moderately dense forest which is not considerd suitable for CA, State Govt may selected CA area measuring 5.94ha in degraded forest land only and submit revised geo referenced digital map both in hard and soft copy. Soft copy may be submitted in shape file map in SOI toposheet, suitability.	प्रस्ताव विभाग द्वारा नई KML file (5.94) बनाकर L (iv) में अपलोड कर दिया गया है। प्रस्तावक विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवन्त वन भूमि पर सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। जिसका प्रमाण पत्र पार्ट । के additional information के क्रम0स0– 38 में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

प्रारूप

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्याः–**(FP/UK/ROAD/10596/2015)**

परियोजना का नाम एंव जनपदः– **जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत बिलखेत–गैराड़–भैरूचौबटठा तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।**

परियोजना का क्षेत्रफल (हे0 में):– **2.97 है0**

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पताः–**अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0, कपकोट।**

वन प्रभाग का नामः– **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित **5.94 है0** बदियाकोट सिविल का **प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर,** द्वारा पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नही है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः
तिथि : 16 /11/2017
स्थान : देहरादून